18

RM/5-41/PM 213/95

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /95 निगरानी

राकेशकुमार वर्मा पुत्र श्री मदनलाल वर्मा, निवासी महल कालोनी, शिवपुरी, तहसील व जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश --- प्रार्थी

विरुद्ध

म0प्र0 शासन -- प्रतिप्रार्थी

क्रमांक ....
श्री 6.3.95
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत 6.3.95
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग दिनांक 8-2-95 धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहि प्रकरण क्रमांक 330/88-89 अपील ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है ।

(2) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

(3) यह कि विवादित भूमि आवादी की भूमि है । यह भू कभी भी कृषि भूमि नहीं रही है ऐसी स्थिति में उस पर डायवर्सन मानना सही नहीं है ।

(4) यह कि विवादित भूमि पर डायवर्सन किया गया है यह सिद्ध करने का भार प्रतिप्रार्थी शासन परथा जिसे पूरा नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में भि प्रार्थी पर डालने में भूल हुई है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 219/1995 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9–16	आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री जादौन उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र0क्र0 330/1988–89/अपील में पारित आदेश दिनांक 08.02.95 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक ने प्लाट की खरीदी की है । विक्रय विलेय में यह शर्ते है कि इस भूमि पर विभिन्न प्रकार के टैक्स, भू–आगम आदि जो भी आयद होंगे, उनके लिये क्रेता अथवा आवेदक ही जिम्मेदार होगा । यह भूमि कृषि के हिसाब से लगान के लिये निर्धारित हुई होगी और आवेदक द्वारा किसी भी स्तर पर यह प्रमाण पेश नहीं किया गया है कि इस भूमि को कृषि भिन्न आशय के लिये कभी निर्धारित किया गया है अथवा उक्त भूमि कभी धारा 172 के अन्तर्गत कभी भिन्न आशय के लिये	

आवंटित की गई है । इस कारण यह नहीं माना जा सकता है कि इस भूमि को आबादी की भूमि मानकर उसके कृषि भिन्न आशय के लिये परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । इस कारण धारा 172 के अंतर्गत डायवर्सन, कृषि भिन्न आशय के लिये पुर्ननिर्धारण आदि की जो कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा भी अपने आदेश में इसकी पुष्टि की है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.1995 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य